कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : SCERT/शि0शि0–सेवापूर्व/5394-95/विज्ञप्ति/दो–I(06)/2021–22, दिनाँक 07 जनवरी, 2022

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019–20 में सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश काउन्सलिंग तथा डायट आवंटन के पश्चात् डायट में प्रवेश लेने हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0– 2019–20(1)/विज्ञप्ति/1164–67/2021, दिनाँक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–20 में सफल/चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 05 अप्रैल 2021 से 27 जुलाई, 2021 तक राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय काउन्सलिंग के उपरान्त जनपद आवंटन कर प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटन की सूची, प्रवेश सम्बन्धी निर्देशों सहित SCERT की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को प्रसारित की गई थी।

उपरोक्त के क्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा उन्हें आवंटित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में प्रवेश नहीं लिया गया है, उन्हें अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक उन्हें आवंटित डायट में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक प्रवेश न लेने की स्थिति में रिक्ति प्रतीक्षा सूची से भर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा प्रवेश हेतु किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(डॉ0 आर.डी. शर्मा)
अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0 : SCERT/शि0शि0सेवापूर्व/ 5394-95 /विज्ञप्ति/दो–I(06)/2021–22 तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10×7 सेमी0 के साइज में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे, जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद, जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में, इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड
देहरादून